

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक/अकादमिक/अ०म०/2021/1047

रीवा, दिनांक 5.8.21

अधिसूचना


आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत प्राणिशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

प्राणिशास्त्र अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1. रिक्त
	28(2) दो	1. डॉ० सुमन सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र, शास० आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2. डॉ० अंशु श्रीप कुमार तिवारी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र, शास० राजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीधी (म०प्र०)
	28(2) तीन	1. रिक्त
	28(2) चार	1. डॉ० बलरामदास आनंद, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र, शास० महाविद्यालय अमरपाटन, सतना (म०प्र०)
		2. डॉ० अरूण कुमार दीक्षित, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्राणिशास्त्र, सुदर्शन महाविद्यालय, लालगांव, रीवा (म०प्र०)
	28(2) पाँच	1. डॉ० एस० परमार, प्राध्यापक, प्राणिशास्त्र, एम०जी०पी०जी० कॉलेज, करेली, जिला-नरसिंहपुर (म०प्र०)
		2. डॉ० शिवेश प्रताप सिंह, प्राध्यापक, प्राणिशास्त्र, शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० सुमन सिंह को प्राणिशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

डॉ० अंशु श्रीप तिवारी


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, जीवनविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)